न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 31/2010 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- मूर्ति मंदिर श्री श्री 1008 श्री राधा कृष्ण जी महाराज ग्राम सिहाली कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर नाबालिग जर्ये नैक्स्ट फैंड

1 रणधीर सिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
2 वचनसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत
3 कुन्दनसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत
4 रतनसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम सिहाली कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर ,

:--- वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 पिस्ता पुत्री भगवानी
2 बिमला पुत्री भगवानी
3 रामकली पुत्री भगवानी
4 सुगना पुत्री भगवानी जाति ब्राहमण साकिन सिहाली कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
5 उप पंजीयक मुण्डावर
6 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार मुण्डावर

:--- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 26.3.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री शैलेन्द्र भार्गव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जगननाथ यादव

निर्णय दिनांक 05.3.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 323/2008 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 26.3.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरानम्बर 873 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम सिहालीकलां तहसील मुण्डावर में प्रतिवादीगण की माता का नाम गलत तौर पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया है । जबकि साबिक रेकार्ड में यह भूमि मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज है । प्रतिवादीगण के बुजुर्गान मंदिर में पूजा अर्चना करते थे । प्रतिवादीगण ने चालाकी से यह भूमि अपने नाम करा ली। जबकि मौके पर मूर्ति मंदिर का आज भी कब्जा चला आ रहा है । मौके पर मूर्ति मंदिर का कब्जा काश्त है। गांववालों ने हम वादीगण को मूर्ति मंदिर की ओर से दावा लडने के लिये अधिकृत किया है। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है तथा जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि मंदिर माफी की है, जिस पर बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2029 में गलत तौर पर पुजारी जैतमी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी । जैतमी के बाद भगवानी के नाम आ गई और भगवानी के बाद प्रतिवादीगण रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी गई । 1952 में जागीर जब्ती अधिनियम लागू हुआ और माफी जब्त हो गई तथा ऐसी भूमियां राज्य सरकार ने ले ली । जो लगान आता था, उसे पुजारी को भोग खर्च के लिये दे दिया जाता था । पुजारी को कभी भी खातेदारी नहीं दी जा सकती । गलत इन्द्राज की आड में रेस्पो0 प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं और भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2003 आर0 आर0 डी0 पेज 401, 2004 आर0 आर0 डी0 पेज 798, 2005 आर0 आर0 डी0 पेज 333, 2015 आर0 आर0 टी0 (2) पेज 868, 2008 आर0 आर0 डी0 पेज 245, 2016 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 678, जागीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जब्ती अधिनियम, 1952 पेज 34, राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 24.5.07 तथा दिनांक 25.11.11 प्रस्तुत किये ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट ने किस हैसियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया है । किसी न्यायालय से इनको नियुक्त नहीं किया गया है । ना ही इनका नाम राजस्व रेकार्ड में है । विवादित भूमि हमको जागीरदार ने बख्शीश में दी थी । वो मंदिर निजी मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर नहीं था। सम्वत 2002 से ही हमारा नाम चला आ रहा है । हम काबिज खातेदार है । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तहत अदालत ने सही तौर पर इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि माफी और दान दोनों अलग अलग बाते हैं । विवादित भूमि माफी की थी, जिस पर पुजारी को खातेदारी नहीं दी जा सकती ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। विवादित भूमि माफी मंदिर की थी या नहीं, प्रतिवादी रेस्पो0 के नाम भूमि कैसे आई, उनको भूमि बख्शीश में दी गई थी या नहीं, किस पक्षकार का क्या टाईटल बनता है आदि प्रश्नों का निस्तारण मूल वाद में होना है । हम यहां धारा212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय की अपील का निस्तारण कर रहे हैं । चूंकि प्रतिवादीगण रेस्पों0 वर्तमान में काबिज काश्तकार है और रिकार्डेड खातेदार है । कानूनन काबिज रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने सही तौर पर प्रार्थी अपीलांट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है,जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय 26.3.2010 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर